[राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 2016 को पारित रूप में]

2016 का विधेयक संख्यांक 43-सी

[दि मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

(*2*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियम की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

धारा 3 का संशोधन।

2. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) 1961 का 53
की धारा 3 में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(खक) ''अधिकृत माता'' से ऐसी जैविक माता अभिप्रेत है, जो किसी अन्य स्त्री में प्रविष्ट भ्रूण को पैदा करने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है;'।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,— 5

(अ) उपधारा (3) में,—

(i) ''बारह सप्ताह होगी, जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक'' शब्दों के स्थान पर, ''छब्बीस सप्ताह होगी, जिसमें से आठ सप्ताह से अनधिक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् और पहले परन्तुक से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: 10

''परंतु दो या दो से अधिक जीवित बालकों वाली स्त्री प्रसूति प्रसुविधा के लिए हकदार अधिकतम अवधि बारह सप्ताह की होगी जिसमें से छह सप्ताह से अनधिक की अवधि उसकी प्रत्याशित प्रसव की तारीख से पूर्वतर की नहीं होगी;'';

(iii) पहले परन्तुक में ''परन्तु'' शब्दों के स्थान पर, ''परंन्तु यह और कि'' शब्द रखे जाएंगे; 15

(iv) दूसरे परन्तुक में ''परन्तु यह और कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परन्तु यह भी कि'' शब्द रखे जाएंगे;

(आ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(4) कोई स्त्री, जो तीन मास से कम की आयु के शिशु का विविध रूप से दत्तक ग्रहण करती है या कोई अधिकृत माता, उस तारीख से, यथास्थिति, दत्तक माता या अधिकृत 20
माता को सौंपा जाता है, बारह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति प्रसुविधा की हकदार होगी।'';

(5) उस दशा में जहां किसी स्त्री को सौंपा गया कार्य ऐसी प्रकृति का है कि वह घर से कार्य कर सकती है, तो नियोक्ता उसे प्रसूति प्रसुविधा का उपभोग करने के पश्चात् ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर, जिन पर नियोक्ता और स्त्री की पारस्परिक सहमति हो, 25
ऐसा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।''।

नई धारा 11क का अंत:स्थापन।

4. मूल अधिनियम में, धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी,अर्थात्:—

शिशु कक्ष सुविधा।

''11क. (1) पचास या अधिक कर्मचारी रखने वाला प्रत्येक स्थापन, ऐसी दूरी के भीतर जो विहित की जाए या तो पृथकत: या सामान्य सुविधाओं सहित शिशु कक्ष की सुविधा रखेगा:

परंतु नियोक्ता स्त्री द्वारा शिशु कक्ष में दिन में चार बार जाने की अनुज्ञा देगा, जिसके अंतर्गत 30
उसको अनुज्ञात विश्राम अंतराल भी होगा।

(2) प्रत्येक स्थापन प्रत्येक स्त्री को उसकी आरंभिक नियुक्ति के समय इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रत्येक प्रसुविधा के संबंध में की लिखित में या इलेक्ट्रानिक रूप से संसूचना देगा।''।

GMGIPMRND—2424RS(S3)—11-08-2016.